न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– नारायण लाल जीनगर, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 116 / 2021 राजस्व वाद
श्री कजोड़मल गुर्जर पिता श्री तिलोक जी गुर्जर आयु वयस्क निवासी– काला पायरा, चानसेन तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––– वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

––– प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट

उपस्थित :–
1. श्री कमलेश मेहता –अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार ––प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक– 31 / 05 / 2023

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद चानसेन पटवार हल्का कीडीमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 210 मे आराजी नम्बर 1083 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1084 रकबा 0.6323 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1085 रकबा 0.3667 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1086 रकबा 0.4174 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1087 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1088 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1089 रकबा 0.2276 हैक्टयर कुल किता 07 रकबा 1.9473 हैक्टयर मे वादी का 1/4 हक हिस्सा है। उक्त आराजियात वादी के पिता तिलोक के नाम पर खातेदारी से दर्ज थी, वादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजियात का विरासत से नामान्तरणकरण वादी के नाम पर खोला गया, जिसमे त्रूटिवश वादी का नाम गांव मे लोगो कहने से कजु अंकित कर दिया, जबकि तिलोक जी के कजु नाम का कोई पुत्र नही था व न ही वादी का सही नाम कजोडमल है, वादी के राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल रेकार्ड मे वादी का नाम कजोडमल अंकित है। वादी का नाम त्रूटिवश व गलतफेमी मे कजोडमल के बजाय कजू अंकित होने से वादी के हक अधिकारो का हनन हो रहा है। वादी का नाम कजु के बजाय कजोड़मल पुत्र तिलोक के रूप मे दर्ज कराया जाना आवश्यक है। वादी दिनांक 01/08/2021 को अपने खाते की जानकारी के लिये नकल लेने गया तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, जिस पर प्रतिवादी को त्रूटि दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादी व उसके अधिनस्थ कर्मचारियो ने मना कर दिया। वादी द्वारा प्रार्थना दर्ज करते हुए राजस्व रेकार्ड मे कजु पिता तिलोक के बजाय कजोड़मल पुत्र श्री तिलोक गुर्जर दर्ज करने का निवेदन किया।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिस[illegible] का नाम दुरूस्त करने मे कोई आपत्ति जाहिर नही की गयी।
प्रकरण मे वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज[illegible] राशन कार्ड, [illegible] आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड व स्कूल रेकार्ड के दस्तावेज को पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 15:05:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज राजस्व अभिलेख मे कजु पुत्र श्री तिलोक गुर्जर के बजाय कजोडमल गुर्जर पुत्र श्री तिलोक गुर्जर अंकित कराये जाने व दुरूस्ती करने हेतु हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे भी कजोडमल पुत्र श्री तिलोक गुर्जर दर्ज है व प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब मे भी वादी का नाम शुद्व किया जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। अतः वादी का नाम कजु पुत्र श्री तिलोक गुर्जर के बजाय कजोडमल गुर्जर पुत्र श्री तिलोक गुर्जर दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त नाम दुरूस्त होने पर भविष्य मे होने वाले सभी प्रभावो के लिए वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद चानसेन पटवार हल्का कीडीमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 210 मे आराजी नम्बर 1083 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1084 रकबा 0.6323 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1085 रकबा 0.3667 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1086 रकबा 0.4174 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1087 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1088 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1089 रकबा 0.2276 हैक्टयर कुल किता 07 रकबा 1.9473 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम कजु पुत्र श्री तिलोक गुर्जर के बजाय कजोडमल पुत्र श्री तिलोक गुर्जर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.05.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नारायण लाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी/पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 15:05:03 IST
Reason: SelfAttested